

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/1323

दिनांक: 12-4-2021

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम कोटा दक्षिण, नगरपालिका बेगूं एवं खैरथल में न्यायिक प्रकरणों की पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर निगम/ परिषद/पालिका का नाम
1.	श्री पदम कुमार गौतम पुत्र श्री किशन चन्द गौतम (R/2035/2002)	नगर निगम कोटा दक्षिण
2.	श्री अभिषेक गर्ग पुत्र श्री चान्दमल गर्ग (आर/3686/2010)	नगरपालिका बेगूं
3.	श्री राजेश मिश्रा पुत्र श्री दुलीचंद मिश्रा	नगरपालिका खैरथल

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 12-4-2021

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/1324-1340

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, कोटा, उदयपुर।
05. महापौर/आयुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण।
06. अध्यक्ष/ अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बेगूं/खैरथल।
07. श्री पदम कुमार गौतम, अधिवक्ता, मार्फत नगर निगम कोटा दक्षिण।
08. श्री अभिषेक गर्ग, अधिवक्ता, मार्फत नगरपालिका बेगूं।
09. श्री राजेश मिश्रा, अधिवक्ता, मार्फत नगरपालिका खैरथल।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी